(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2175–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2016 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद अपील प्रकरण कमांक 308/अपील/2014–15.

1– कमरजा उघड़े बेवा स्व. किशन उघड़े
2– लालाजी उघड़े पिता स्व. किशन उघडे
3– बालाजी उघड़े पिता स्व. किशन जी उघडे
4– कौशू पुत्री स्व. किशन उघडे
गैर कैवियटकर्ता कमांक 2 लगायत 4
निवासीगण ग्राम बोरगांव
तहसील व जिला बैतूल
5– द्वारका पुत्री स्व. किशन जी उघडे
निवासी मांझी नगर, हमलापुर बैतूल
6– सिंधु पुत्री स्व. किशन जी उघडे
पति रामराव निवासी ग्राम जीन
तहसील व जिला बैतूल
7– ममता पुत्री स्व. किशन जी उघडे
पति श्यामराव ग्राम सांवगा (सेगांव)
तहसील व जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुमित्रा धोटे पति साहबराव धोटे
2– साहबराव धोटे पिता राव जी धोटे
निवासीगण ग्राम बोरगांव (जीन)
तहसील बैतूल जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
मोहम्मद शरीफ, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/4/17— को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, बैतूल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रसतुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दायर रिट याचिका कमांक 1640/2008 निर्णय दिनांक 27–8–2008 में निर्देश दिये गये हैं कि तहसील न्यायालय संहिता की धारा 129 के अंतर्गत पुनः सीमांकन दोनों पक्षों को उपस्थित रहने का अवसर देकर करायें तत्पश्चात संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र पर पुनः दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करें । नायब तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही कर दिनांक 10–2–2015 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण को दिया जाना आदेशित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–9–2015 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 16–6–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व नक्शे में त्रुटि है, जिसे प्रथमतः दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । यदि नक्शे में त्रुटि दुरूस्त हो जाती है, तब उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं रहेगा ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करने में आस–पास के कृषकों की भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया है, हो सकता है कि अनावेदकगण की प्रश्नाधीन भूमि किसी और के कब्जे में हो ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि का जब–जब सीमांकन हुआ है, तब–तब कम या ज्यादा अतिक्रामित भूमि निकली है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन प्रथम दृष्टया ही संदेह की परिधि में है, और ऐसे सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(4) सीमांकन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर ही अवैध कब्जा हटाया जा सकता है, वर्षों पुराने कब्जे को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत नहीं हटाया जा सकता है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में प्रकरण कमांक 3/अ–70/वर्ष 2002–03 प्रचलित हुआ था, जो दिनांक 21–1–2003 को आदेश पारित कर खारिज किया जा चुका है, और उसकी अपील भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की जा चुकी है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा नवीन प्रकरण संस्थित कर कार्यवाही करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है ।

(6) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 1640/2008 में दिये गये निर्देशों का बिना पालन किये तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 414, 2000 आर.एन. 80, 2013 (1) मनीषा 73 (सी.जी.), 2012 (2) एम.पी.सी.जे. 128 (सी.जी.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन कमांक 1640/2008 में आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय को उभय पक्ष की उपस्थिति में सीमांकन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे तत्पश्चात संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आदेश पारित करने के भी निर्देश दिये गये थे । अतः तहसील न्यायालय द्वारा केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसी कारण अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया है ।

(3) आवेदकगण यदि सीमांकन की कार्यवाही से सहमत नहीं थे, तब उन्हें सीमांकन की कार्यवाही को चुनौती दिया जाना चाहिए था, संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने के पश्चात भी उन्हें आज दिनांक तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, और आवेदकगण येन केन प्रकारेण प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष आवेदकगण की ओर से समय–सीमा (दो वर्ष से अधिक अवधि से कब्जा) का बिन्दु उठाया गया था, जिस पर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, जबकि संहिता की धारा 250 के संदर्भ में यह एक आवश्यक तत्व है । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से उठाये गये उपरोक्त बिन्दु के संबंध में उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिए था । अतः आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं न्यायिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदकगण की ओर से उठाये गये बिन्दु पर भी उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर स्पष्ट निर्णय लेवें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर